

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री नन्द किशोर टाक, तत्कालीन व्याख्याता (राज० विज्ञान) वर्तमान प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कडिया तहसील-कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द जन्म तिथि 10.05.1965 व्याख्याता पद के वरिष्ठता क्रमांक 539/2010-11 को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 3 के गुप-डी-11 के अनुरूप प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद की वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंका के अनुसार चयनोपरान्त कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी/18-19 पदस्थापन/द्वितीय 2018 दिनांक 16.07.2018 द्वारा पदस्थापन राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कडिया तहसील-कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द में किया गया था।

उक्त आदेशों की पालना में श्री नन्द किशोर टाक ने दिनांक 20.07.2018 को राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कडिया तहसील-कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द में कार्यगृहण किया। श्री नन्द किशोर टाक की स्वयं की प्रार्थना पर इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कडिया तहसील-कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द के पद से पदावनत कर पुनः व्याख्याता (राज० विज्ञान) के पद पर पदस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 26-10-18

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/नन्द किशोर टाक/2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) शासन सचिवालय, जयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), राजसमन्द को भेजकर कर निर्देशित किया जाता है कि श्री नन्द किशोर टाक के पदोन्नति उपरान्त प्रधानाचार्य पद पर किये गये वेतन निर्धारण को पुनः संशोधित कर उक्त आदेश का इन्द्राज उनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से करें।
4. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-सी अनुभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री नन्द किशोर टाक का पदस्थापन व्याख्याता (राज० विज्ञान) के रिक्त पद पर कर अवगत करावें।
5. राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कडिया तहसील-कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द।
6. श्री नन्द किशोर टाक, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कडिया तहसील-कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि व्याख्याता (राज० विज्ञान) के पद पर पदस्थापन आदेश जारी होने तक यथावत कार्यरत रहेगी।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री अशोक कुमार शर्मा, तत्कालीन व्याख्याता (इतिहास) वर्तमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबा पीठ सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर जन्म तिथि 19.01.1965 व्याख्याता पद के वरिष्ठता क्रमांक 288/2009-10 को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 3 के गुप-डी-ग के अनुरूप प्रधानाचार्य (उमाधि) एवं समकक्ष पद की वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनोपरान्त कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना-डीपीसी/01-02 से 17-18/पदस्थापन/2018 दिनांक 06.06.2018 द्वारा पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबा पीठ सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में किया गया था।

उक्त आदेशों की पालना में श्री अशोक कुमार शर्मा ने दिनांक 07.06.2018 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबा पीठ सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में कार्यगृहण किया। श्री अशोक कुमार शर्मा की स्वयं की प्रार्थना पर इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबा पीठ सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर के पद से पदावनत कर पुनः व्याख्याता (इतिहास) के पद पर पदस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 26 ¹⁰/₁₈

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/अशोक कुमार शर्मा/2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) शासन सचिवालय, जयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), डूंगरपुर को भेजकर कर निर्देशित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा के पदोन्नति उपरान्त प्रधानाचार्य पद पर किये गये वेतन निर्धारण को पुनः संशोधित कर उक्त आदेश का इन्द्राज उनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से करें।
4. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-सी अनुभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा का पदस्थापन व्याख्याता (इतिहास) के रिक्त पद पर कर अवगत करावें।
5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबा पीठ सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
6. श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबा पीठ सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि व्याख्याता (इतिहास) के पद पर पदस्थापन आदेश जारी होने तक यथावत कार्यरत रहेगी।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री गणेश लाल, तत्कालीन व्याख्याता (हिन्दी) वर्तमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाल, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर जन्म तिथि 04.07.1962 व्याख्याता पद के बरिष्ठता क्रमांक 812/2008-09 को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 3के ग्रुप-डो-11 के अनुरूप प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद की वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनोपरान्त कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी/18-19/पदस्थापन/द्वितीय/2018 दिनांक 01.06.2018 द्वारा पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाल, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर में किया गया था।

उक्त आदेशों की पालना में श्री गणेश लाल ने दिनांक 04.06.2018 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाल, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर में कार्यगृहण किया। श्री गणेश लाल की स्वयं की प्रार्थना पर इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाल, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर के पद से पदावनत कर पुनः व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/गणेशलाल/2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) शासन सचिवालय, जयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय), उदयपुर को भेजकर कर निर्देशित किया जाता है कि श्री गणेश लाल के पदोन्नति उपरान्त प्रधानाचार्य पद पर किये गये वेतन निर्धारण को पुनः संशोधित कर उक्त आदेश का इन्द्राज उनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से करें।
4. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-सी अनुभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री गणेश लाल का पदस्थापन व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर कर अवगत करावें।
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाल, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
6. श्री गणेश लाल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाल, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदस्थापन आदेश जारी होने तक यथावत कार्यरत रहेगी।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 26/18